फर्द अहकाम

रामकिशोर बनाम गोलमा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 01/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/6/24	(ऐ बाउन्स) करते हुए कुर्की जब्ती प्रस्ताव मय नक्शाहक्स तथा पक्षकारान को सूचनार्थ जारी नोटिसों की पावती के निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर (3-3 प्रतियों में) न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद वादी प्रार्थना डिक्री किया गया है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार आमेर को कुर्की जब्ती रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु वर्थ जारी होकर फायदली इत्तला कुर्की रिपोर्ट दिनांक 12/07/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	12/7/24	आज दिनांक 12/7/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेन्स कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/7/24 को पेश हो।
	31/7/24	फायदली पेशाहक्क/अभिभाषकान अनुपस्थित। तहसीलदार आमेर की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि स्वयं वादी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहना व्यक्त किया गया है। तथा वाद विड्रा का कथन किया गया। उक्त क्रम में आज वादी तथा पक्षकारान भी अनुपस्थित है। अतः फायदली वाद उचित आदेश हेतु दिनांक 06/8/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

रामकिशोर बनाम गोलमा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 01/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
6/8/24	फायदली पेशाहक्क/ पक्षकारान व अधिवक्ता पक्षकारान की अनुपस्थित। तहसीलदार आमेर की ओर से रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि स्वयं वादी अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए प्रकरण में कुर्की रिपोर्ट नहीं चाहता है तथा वाद को विड्रा किए जाने का प्रार्थनापत्र भी स्वयं वादी द्वारा तहसीलदार आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार ही वादी का अधिवक्ता प्रकरण के गत नियत तारीख पेशी पर एवं आज की नियत तारीख पर अनुपस्थित है। अतः चूंकि स्वयं वादी प्रकरण में कुर्की रिपोर्ट व अन्य कार्यवाही नहीं चाहता है (जिसे बाबत प्रार्थना तहसीलदार आमेर के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया है) जिससे वादी के प्रस्तुत वादपत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद खारिज होने से खारिज किया जाता है। फायदली फैसल शुमारिंदा रजिस्टर के क्रम है। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	